राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
ब्लॉक - डीडी-34, सेक्टर-I, साल्टलेक सिटी, कोलकाता - 700 064.

ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्र एवं भ्रमणशील पुस्तकालय सेवाओं के विकास की दिशा में सहायता की समतुल्य योजना

1. शीर्षक एवं उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के आम पाठकों के लिए लाभप्रद ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्र एवं भ्रमणशील पुस्तकालय सेवाओं की स्थापना करना है । जिला पुस्तकालय एवं अन्य चयनित पुस्तकालय आधार पुस्तकालय होंगे जहाँ से पुस्तकें पुस्तक संचयन केन्द्रों या पुस्तक सुपुर्दगी केन्द्रों को भेजी जाएंगी । योजना का उद्देश्य सुविधाहीन आम लोगों तक पुस्तकालय सेवाओं को पहुँचाना और उनमें पढ़ने की रूचि विकसित करना है । यह एक समतुल्य योजना है ।

यह योजना ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्र एवं भ्रमणशील पुस्तकालय सेवाओं के विकास की दिशा में सहायता की समतुल्य योजना के रूप में जानी जाती है ।

2. सहायता योग्य संस्थानों/संगठनों के प्रकार :

(अ) ऐसे सरकारी पुस्तकालयों, सहायता प्राप्त पुस्तकालयों और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को समतुल्य निधि से इस योजना के अन्तर्गत सहायता दी जा सकती है जो भ्रमणशील पुस्तकालय सेवाएँ संचालित कर रहे हैं या इसकी योजना बना रहे हैं ।

(ब) योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संस्थान को निम्नलिखित विशेषताओं के साथ पंजीकृत सोसाइटी / न्यास होना चाहिए ।

(i) इसके पास आवश्यक सुविधाएँ, संसाधन, कर्मी इत्यादि होने चाहिए ताकि अनुदान प्राप्त परियोजना / प्रस्ताव का कार्यान्वयन हो सके ।

(ii) राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश और / या राज्य पुस्तकालय संघ द्वारा इसके कार्य संतोषप्रद पाये गये हों ।

(iii) यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए नहीं चलती है ।

(iv) बिना किसी भेद-भाव के पुस्तकालय सर्व सुलभ होना चाहिए ।

3. सहायता के क्षेत्र

योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों के लिए सहायता दी जा सकती है :

(i) पुस्तक की अलमारियों के साथ सस्ते भ्रमणशील पुस्तकलाय वाहन : रूपये 7.00 लाख वाहन में पुस्तक प्रदर्श रैक इत्यादि के प्रतिष्ठापन समेत आधार पुस्तकालय के लिए (प्राधिकृत विक्रेताओं से 10 वर्षों में एक बार खरीदा जाना है) ।

(ii) अन्य सामग्रियों जैसे भंडारण-सह-वाहन उपस्कर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन तथा भ्रमणशील पुस्तकालयीन सेवाओं के कार्य करने के लिए आवश्यक अन्य सामग्रियों के लिए रूपये 50.00 हजार प्रतिवर्ष

(iii) परिचालन के लिए पुस्तकें आधर पुस्तकालय द्वारा दी जानी हैं।

(iv) योजना के कार्यान्वयन के लिए किन्हीं अन्य सामग्रियों पर भी विचार किया जा सकता है।

विशेष द्रष्टव्य:- राज्य/केन्द्र शासित प्राधिकरण की सहमति से अधिकतम राशि बढ़ायी जा सकती है।

4. आवेदन प्रस्तुत करने की विधि

(अ) राज्य पुस्तकालय समिति / राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजक की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जाएंगे ।

(ब) विहित प्रपत्र में संबंधित कागजातों के साथ पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र राज्य पुस्तकालय समिति / राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजक के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(स) राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या राज्य पुस्तकालय समिति / राज्य पुस्तकालय योजना समिति आवेदन पत्र की जाँच करेगी और यथोचित संस्तुति के साथ विहित प्रपत्र में उसे अग्रेषित करेगी ।

(द) सभी आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज / सूचना संलग्न होनी चाहिए ।

(i) सरकारी विभाग / संस्थान / संगठन के मामले में, परियोजना प्रायोजित करने वाले विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख का पदनाम ।

(ii) गैर सरकारी संस्थान / पुस्तकालय संघ के मामले में संगठन का संविधान / संघ के ज्ञापन, नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतिलिपि, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे और सोसाइटी पंजीयन प्रमाणपत्र ।

(iii) जिस परियोजना के लिए सहायता मांगी जा रही हो उसका विस्तृत विवरण जिसमें अवधि तथा नियुक्त किये जाने वाले कर्मियों की अर्हता का उल्लेख हो ।

(iv) खर्च का मदवार विवरण देते हुए परियोजना का वित्तीय विवरण

(v) यदि अन्य निकायों से इस परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त हुआ हो, मिलने वाला हो या इसके लिए अर्जी दी गयी हो तो उससे संबंधित सूचना ।

5. सहायता की शर्तें

(ए) एक बार परियोजना / प्रस्ताव और प्राक्कलन अनुमोदित हो गये हों और इन प्राक्कनों के आधार पर मूल्यांकन कर दिया गया हो तो उन्हें आरआरआरएलएफ की पूर्व अनुमति के बिना संशोधित नहीं किया जा सकता ।

(बी) आरआरआरएलएफ की सहायता से खरीदी गयी प्रत्येक वस्तु पर "राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की सहायता से खरीदा गया" अंकित होना चाहिए ।

(सी संस्थान / संगठन आरआरआरएलएफ की सहायता से आंशिक या पूर्ण रूप से सृजित सभी परिसम्पतियों का लेखा-जोखा रखेगा । आरआरआरएलएफ की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकार सृजित परिसम्पति का निपटारा नहीं किया जाएगा । यदि कालान्तर में पुस्तकालय काम करना बन्द कर दे तो सहायता से प्राप्त सम्पतियाँ आरआरआरएलएफ के साथ शामिल हो जाएंगी ।

(डी) अनुदान प्राप्त संस्थान के पक्ष में अनुदान जारी किया जाएगा 1

(ई) परियोजना का निरीक्षण आरआरआरएलएफ या राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा किया जा सकता है ।

(एफ) यदि अनुमोदित उद्देश्यों के लिए मंजूर की गयी राशि का उपयोग नहीं किया जाता तो आरआरआरएलएफ/सरकार को अनुदान का भुगतान रोक देने या दी गयी राशि की वसूली का अधिकार होगा ।

(जी) चेक प्राप्ति के तीन माह के अन्दर अनुदान का उपयोग किया जाना चाहिए ।

(एच) मंजूरी मिलने से पहले किये गये खर्च को अनुदान की राशि के साथ नहीं जोड़ा जाएगा ।

(आई) परियोजना / प्रस्ताव के अनुमोदन और सहायता राशि के संबंध में आरआरआरएलएफ का निर्णय अंतिम होगा और सभी मामलों में अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा ।

6. अनुदान की उपयोगिता के बाद कागजातों की प्रस्तुति

(अ) अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान / संगठन द्वारा आरआरआरएलएफ की परियोजना के कार्यरूप के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा ।

(i) गैर सरकारी संगठन के मामले में अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान द्वारा जिस वित्तीय वर्ष में अनुदान की राशि का उपयोग किया गया है उसके छः माह के अन्दर आरआरआरएलएफ को विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र पेश करना होगा जो विधिवत् संस्थान के प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षिरत और चार्टरित लेखाकार / सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा जिसके साथ क्रय वाउचर की प्रति और लेखों के लेखापरीक्षित विवरण होंगे ।

(ii) सरकारी संगठन के मामले में अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान आरआरआरएलएफ को विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र आहरण एवं संवितरण अधिकारी के विधिवत् हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करेगा जो कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा और उसके साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित खर्च का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ब) अनुदान की उपयोगिता के संबंध में आवश्यक दस्तावेज बिना मान्य कारणों के प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान आरआरआरएलएफ को संपूर्ण राशि लौटाने के लिए जिम्मेवार होगा ।